न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0- 03/2015 एवं 11/15

- इन्द्रमोहन सिंह, पिता-स्व0 अर्जून सिंह, सा0-बड़ा तेलपा नई बस्ती,थाना-छपरा नगर, जिला-सारण
- चन्द्रमोहन सिंह, पिता-श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह, सा0-बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना-छपरा नगर, जिला-सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
03.09.2015	यह वाद आवेदक इन्द्रमोहन सिंह, पिता-स्व0 अर्जून सिंह, सा0-बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना-छपरा नगर, जिला-सारण एवं चन्द्रमोहन सिंह, पिता-श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह, सा0-बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना-छपरा नगर, जिला-सारण के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए अलग अलग आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ है। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 376/गो0, दिनांक 20.01.2015 के द्वारा आवेदक से प्राप्त आवेदनों के आलोक में जांच प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा के पत्रांक 77, दिनांक 19.02.2015 के द्वारा संचिका संख्या 36-11/2015 एवं 36-12/2015 सुनवाई हेतु निदेशानुसार प्रेषित किया गया। इस न्यायालय के ज्ञापांक 123, दिनांक 23.02.2015 एवं 124, दिनांक 23.02.2015 के द्वारा दोनों आवेदकों को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 23.07.2015 को आवेदकों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके भाई की हत्या अपराधियों के द्वारा की गई थी, जिससे संबंधित छपरा नगर थाना कांड संख्या 246/2014, दिनांक 31.08.2014 दर्ज है। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार हैं। वे एक साथ रहते है। उन्हे तथा उनके परिवार को अपराधियों से जान-माल पर खतरा है। अतः दोनों भाईयों के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि आवेदकों के भाई की हत्या की गई हैं। अतः आवेदकों को शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बिन्दू पर निर्णय लिया जा सकता है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत पाया गया कि दोनों भाईयों के द्वारा भरे गए शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन त्रुटिपूर्ण है। दोनों आवेदनों के कंडिका संख्या 10(c) को जान बूझ कर रिक्त छोड़ा गया है। इसी प्रकार दोनों आवेदनों के 11(a)में हाँ भरा गया है, जिसका यह अर्थ निकलता है कि दोनों के पास पहले से शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत है। अभिलेख में रक्षित प्रतिवेदनों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि पुलिस प्रतिवेदन में इनके पास शस्त्र नहीं होने का प्रतिवेदन अंकित है, लेकिन अंचल अधिकारी,सदर के द्वारा इन्द्रमोहन सिंह के पास शस्त्र होने का प्रतिवेदन अंकित किया गया है। उक्त विरोधाभासी प्रतिवेदन के लिए इस न्यायालय के ज्ञापांक	

547, दिनांक 04.08.2015 के द्वारा पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछ कर आवश्यक कार्रवाई करें, प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा से स्पष्टीकरण पूछते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई, एवं इस न्यायालय के ज्ञापांक 565, दिनांक 28.08.2015 एवं 566, दिनांक 28.08.2015 के द्वारा आवेदकों से उक्त बिन्दू पर कारण पृच्छा किया गया कि उनके द्वारा भरे गए त्रुटिपूर्ण आवेदनों को तथ्य छिपाने की कोशिश मानते हुए उनके आवेदनों को अस्वीकृत करने की कार्रवाई क्यों न की जाए? दिनांक 03.09.2015 को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई।

प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा के पत्रांक 470, दिनांक 03.09.2015 एवं 471, दिनांक 03.09.2015 के द्वारा अपने स्पष्टीकरण का जवाब एवं प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं हैं। जिला शस्त्र शाखा से संबंधित कार्यो के पर्यवेक्षण की सारी जवाबदेही उन्हीं की है। प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को निर्देश है कि आवेदक से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् एवं पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यदि कही भी कोई कमी या कोई विरोधाभास पाया जाए, तो इस संबंध में अपने स्तर से निश्चित रूप से पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन्द्रमोहन सिंह के नाम से राईफल की अनुज्ञप्ति पूर्व से निर्गत है, जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या 97/88,(नगर थाना) है, जो शस्त्र पंजी में संधारित हैं। चन्द्रमोहन सिंह के नाम से कोई शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है।

दिनांक 03.09.2015 को इन्द्रमोहन सिंह एवं चन्द्रमोहन सिंह अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदकों के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इनके भाई की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, जिस वजह से ये मानसिक रूप से काफी परेशान थे। इस अवस्था के कारण तथा फॉर्म के अंग्रेजी में रहने की वजह से इनके द्वारा आवेदन को भरने में कुछ त्रुटि हो गई है, इसके लिए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए, एवं इनके परिवार के जान माल पर खतरें की आशंका को देखते हुए इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि आवेदकों से आवेदन भरने में कुछ त्रुटि हुई है। अतः इनके द्वारा भरे गए आवेदन के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं पाता हूँ कि इन्द्रमोहन सिंह के पास पहले से शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत हैं। दोनों भाईयों के द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि उनका संयुक्त परिवार है, एवं वे एक साथ रहतें है। ऐसी परिस्थिति में, एक अन्य शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक इन्द्रमोहन सिंह, पिता-स्व0 अर्जून

सिंह, सा0–बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना–छपरा नगर, जिला–सारण एवं चन्द्रमोहन सिंह, पिता–श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह, सा0–बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना–छपरा नगर, जिला–सारण के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल अलग अलग आवेदन पत्र दोनों दिनांक 07.10.2013 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

3/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

3/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 605 /न्या0, दिनांक 10/09/2015

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
10/9/15